न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09 / 16

उनवान

1–सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1–श्रीमान् लैण्ड हॉल्डर सा0 जरिए तहसीलदार सा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित

1–जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है किग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर के अन्दर हल्का आबादी मे साबिक कृषि आराजी संख्या 194 / 1 मी रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किस्म आबादी अन्य भूमियो के साथ साबिक खाता मे प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी। प्रमाण मे पुरानी जमाबन्दी सवत् 2049 से 2051 की प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 मे अंकित साबिक आराजियात प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है तथा उक्त भूमि पर गांव के लोगो के बाड़े बने हुए है। तहसील रायपुर मे भू प्रबन्ध होने से ग्राम केमुनिया मे भी भू प्रबन्ध हुआ जिससे प्रार्थी के साबिक आराजी संख्या 194 / 1 मी के नवीन नम्बर आराजी संख्या 231 रकबा 0.06 हे0, आराजी

संख्या 232 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 234 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 235 रकबा 0.31 हे0, आराजी संख्या 236 रकबा 0.02 हे0 कायम किए प्रमाण मे मिलान क्षैत्रफल की नकल नवीन जमाबन्दी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा प्रार्थी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा तो सही कायम किया गया परन्तु बिना किसी विधिक आदेश एवं अधिकारियो के नवीन खाते मे प्रार्थी की आबादी भूमि की किस्म को बदलकर छाक अंकित कर दी तथा राजस्व रेकार्ड मे भूमि को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी जबकि भूमि आबादी भूमि है तथा मौके पर बाड़े बने हुए है। भू प्रबन्ध विभाग का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थी की आबादी भूमि को नवीन खाते मे पुनः आबादी अंकित कराया जाना न्यायोचित हो गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 24.08.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा साबिक जमाबन्दी मे उक्त साबिक आराजी संख्या 194/1 मी की किस्म गे0मु0 आबादी दर्ज थी। तथा नवीन रेकार्ड मे आराजी संख्या 231 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 232 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 234 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 235 रकबा 0.31 हे0, आराजी संख्या 236 रकबा 0.02 हे0 किस्म छा0क0 दर्ज कर दी गई जो गलत है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर की नवीन आराजी संख्या 231 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 232 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 233 रकबा 0.05 हे0, आराजी संख्या 234 रकबा 0.05

हे0, आराजी संख्या 235 रकबा 0.31 हे0, आराजी संख्या 236 रकबा 0.02 हे0 किस्म छा0क0 के बजाय आबादी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02..2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा